संख्याः 938/35–1–2012–2/1(56)/2011

प्रेषक,

विजय कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर भवन,उ0प्र0,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 *लखनऊः दिनांक 28 सितम्बर, 2012*

विषयः वेतन समिमित (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में राजकीय विभागों के आशुलिपिक कर्मचारी संवर्ग के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों को प्रशिक्षण प्रभाग उ0प्र0 में कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्याः 748/I–155/प्र0प्र0, दिनॉक 25 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 की संस्तुतियों पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः वे0आ0–2–2056/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनॉक 08 सितम्बर, 2010 के अनुसार वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर आशुलिपिक संवर्ग के सम्बन्ध में लिए गये सामान्य निर्णय के कम में प्रशिक्षण प्रभाग के आशुलिपिक संवर्ग में शासनादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदनाम के समक्ष स्तम्भ–3 में इंगित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन, स्तम्भ–4 में इंगित पदों की संख्या तथा स्तम्भ–5 में पदों को भरे जाने की वर्णित व्यवस्था को अनुलग्नक–2 के स्तम्भ–2 के अनुसार पद नाम, स्तम्भ–3 व 4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन स्तम्भ–5 के अनुसार पदों की संख्या तथा स्तम्भ–6 के अनुसार पदों को भरे जाने की व्यवस्था दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त संवर्गीय पुर्नगठन के फलस्वरूप उच्च ग्रेड वेतन के सापेक्ष समायोजित होने वाले पद धारको का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः वे0आ0–2–841/दस–2009–54(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार सेवानियमावली में संशोधन यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

4– उपर्युक्तानुसार 50:35:15 प्रतिशत पद विभाजन करने के परिणामस्वरूप यदि द्वितीय स्तर के किसी पदधारक द्वारा धारित पद का विभाजन प्रथम स्तर के पद में हो जाता है तो उक्त पद को सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित करने तक द्वितीय स्तर का पद ही बनाये रखा जायेगा। सम्बन्धित पदधारक द्वारा किसी भी स्थिति में पद रिक्त किये जाने पर उक्त पद प्रथम स्तर के पद में स्वतः परिवर्तित हो जायेगा।

2/–

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:वे0आ0–716/दस /2012, दिनॉक 26.09.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त ।

भवदीय,

(विजय कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

क0 सं0
1
1
2
3

संख्याः 938 (1)/35–1–2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– महालेखाकार (लेखा परीक्षाा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
6– राज्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र योजना भवन, लखनऊ।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
8– वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1
9– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
10– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश शासन।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक–1

शासनादेश सं0: 938 /35–1–2012–2/1(56)/2011,
दिनॉक 28 सितम्बर, 2012

क्र0 सं0	पदनाम	सृजित पदो की संख्या	पूर्व वेतनमान	वर्तमान वेतनमान
1	2	3	4	5
1	आशुलिपिक	01	रू0 4000–6000	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400/–
2	आशुलिपिक	04	रू0 5000–8000	रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–
3	व्यैक्तिक सहायक	01	रू0 5500–9000	रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/–
	योग	06		

(विजय कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

अनुलग्नक–2

शासनादेश संः 938/35–1–2012–2/1(56)/2011
दिनॉक 28 सितम्बर, 2012

क0 स0	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन संरचना		पदो की संख्या/ प्रतिशत	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)		
1	2	3	4	5	6
1	आशुलिपिक	5200–20200	2800	03 पद 50 %	संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का होगा। इस पद पर भर्ती हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट के साथ हिन्दी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रति मिनट के साथ कम्प्यूटर से सम्बन्धित ज्ञान (डी0ओ0ई0, ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा संचालित सी0सी0सी0 पाठ्यक्रम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण होना) अनिवार्य अर्हता होगी।
2	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800	4200	02 पद 35 %	यह पद द्वितीय स्तर के होगें। इन पदों को ज्येष्ठता के आधार पर न्यूनतम 08 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले आशुलिपिक पदधारको से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
3	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800	4600	01 पद 15 %	यह पद तृतीय स्तर के होगें। इन पदो को ज्येष्ठता के आधार पर आशुलिपिक पद की सेवाओ को जोड़ते हुए न्यूनतम 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 के पद धारको, जिनके द्वारा इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, से पदोन्नति कर भरा जायेगा।

(विजय कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।